

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-553-औसं/2018-11(1)ए०एस०/09(16)

दिनांक: 28 फरवरी, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय की दिनांक 30.06.2018 तक मान्यता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2791-औसं/2016-11(1)ए०एस०/09(16) दिनांक 08.07.2016 में सूची-2 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1547-औ०सं०/2017 दिनांक 24.03.2017 के क्रम संख्या-24 पर अंकित चिकित्सालय सृजन वात्सल्य हॉस्पिटल प्रा०लि०, 8/1/6, एल्लिन रोड, इलाहाबाद फोन नं०-0532-2405050, मो०नं०-9935532134 द्वारा अस्पताल से सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता दिनांक 01.07.2017 से अग्रेतर दिनांक 30.06.2018 तक निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है:-

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैद्य पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी। (दिनांक 01.05.2018 से मान्यता हेतु वर्ष 2018-2019 का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-553-औसं/2018-तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/ पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 4- निदेशक (आपरेशन)/(प्रोजेक्ट)/(कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

कमश:.....2/....

Nal

(2)

- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 8- महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।
- 12- सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- निदेशक, सृजन वात्सल्य हॉस्पिटल प्रा0लि0, 8/1/6, एल्लिन रोड, इलाहाबाद।
- 14- मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद।
- 15- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 16- कट फाइल।

Naft Mathur
(नवनीत माथुर) 28-2-18

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

[Signature]